न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 197 / 2024

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम जाति माली निवासी नयापुरा सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित ।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक – 15/01/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रेन्दड़ी, पटवार हल्का आलावास, भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत में प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 168 खसरा संख्या 265 रकबा 3.8800 हैक्टर किस्म बा0दो0 है, उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र अचलाराम दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सद्भाविक त्रुटिवश ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम के स्थान पर प्रकाश पुत्र अचलाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया। प्रार्थी के तमाम दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, ड्राईवींग लाईसेंस तमाम सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम ही दर्जसुदा हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अन्य सरकारी योजनाओं से मेहरूम होना पड़ रहा है, साथ ही प्रार्थी को अन्य राजस्व कार्यों में भी बाधा/अडचन कारित हो रही है, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र अचलाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम अंकित करवाये। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र अचलाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम दुरूस्त कर शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रेन्दड़ी में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 4 से 5 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

इस संबंध में तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/1859 दिनांक 23.12.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रार्थी के तमाम दस्तावेजों तथा उपस्थित मौतबिरानों से पूछताछ में सही पाये जाने पर प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा रेन्दडी, पटवार हल्का आलावास, भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत वर्तमान खाता संख्या 168 खसरा संख्या 265 रकबा 3.8800 हैक्टर किस्म बा0दो0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र अचलाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड,, पैन कार्ड, एस0बी0आई0 बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम प्रकाश नहीं होकर ओमप्रकाश होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज नाम प्रकाश पुत्र अचलाराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

:– **आदेश** :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रेन्दड़ी, पटवार हल्का आलावास, भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत वर्तमान खाता संख्या 168 खसरा संख्या 265 रकबा 3.8800 हैक्टर किस्म बा0दो0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र अचलाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र अचलाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)